फरीदाबाद
मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 235 1/- जनवरी 2008

सब सरकारें मजदूरों और सामाजिक मौत-सामाजिक हत्या के सामने खड़े दस्तकारों-किसानों से आतंकित हैं। सब सरकारें इस आतंक के खिलाफ एकजुट हो रही हैं।

मजदूरों को दिखाना ही नहीं(9)

गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

★ कभी-कभार के शोषण की बजाय नियमित शोषण ऊँच-नीच, अमीरी-गरीबी वाली समाज व्यवस्थाओं का आधार होता है। नियमित शोषण के लिये शोषण-तन्त्र आवश्यक होते हैं। और चूँकि शोषितों द्वारा शोषण का विरोध स्वाभाविक है, किसी भी शोषण-तन्त्र को नियमित दमन की आवश्यकता होती है। शास्त्र और शस्त्र की गठजोड़ के संग पृथ्वी पर दमन-तन्त्रों का श्रीगणेश हुआ। दमन-तन्त्र का ही दूसरा नाम, अधिक प्रचलित नाम सरकार है। ★ दमन-तन्त्र की विशेषता यह है कि यह खर्चा माँगता है। सरकार के खर्च का आदि-स्रोत टैक्स हैं। प्रकृति के बाद हाथ उत्पादन के आदि-स्रोत हैं। इसीलिये कर = हाथ, कर = टैक्स। अधिक समय नहीं हुआ, महलों-किलों में रहने वाले राजा-सामन्त सरकार थे और भूदासों से उपज का छठा हिस्सा ($16^2/_3$%) वसूलने का कानून था। आज विधायक-सांसद-अधिकारी वाली सरकार के खर्च की पूर्ति के लिये कुल उत्पादन व खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया जाता है। ★ भूदासों द्वारा अपनी उपज का $83^1/_3$% रखना कानून अनुसार था। उत्पादकता में छलाँगें लगी हैं और आज मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका एक-दो प्रतिशत मजदूरों के हिस्से में आना कानून अनुसार है। बाकी के 98 प्रतिशत में शोषण-तन्त्र और दमन-तन्त्र में हिस्सा-बाँट होती है। ★ प्रहरी, कोतवाल, मन्त्री द्वारा रिश्वत लेने के किस्से बहुत पुराने हैं। दरअसल दमन-तन्त्र रिश्वत की चर्बी के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिये नगर-प्रान्त-देश के दायरों में कैद हो कर भ्रष्टाचार आदि को मूल समस्या मानना नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, गैर-कानूनी को मर्ज और कानून को दवा पेश कर कानून अनुसार दमन-शोषण को छिपाने का नुस्खा पुराना है, यह शुद्ध काँइयापन है। ★ आज नई बात दमन-तन्त्र के संग-संग शोषण-तन्त्र में भी कानूनों का उल्लंघन, गैर-कानूनी कार्यों का बहुत-ही बड़े पैमाने पर होने लगना है। मण्डी-मुद्रा के साम्राज्य में कानूनों का यह अर्थहीन होना राजाओं-सामन्तों के अन्तिम चरण में कानूनों के अर्थहीन होने जैसा लगता है। *दिल्ली और इसे घेरे नोएडा, सोनीपत, बहादुरगढ, गुड़गाँव, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में कार्य करते 70-75 प्रतिशत मजदूरों को अब दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं को विलाप की वस्तु की बजाय नई सम्भावनाओं से ओत-प्रोत के तौर पर देखना बनता है।*

मण्डी-मुद्रा की गतिक्रिया के चलते कानूनी/गैर-कानूनी में हुई इस उलट-फेर के सन्दर्भ में मालिक से दो-चार आने वाला हिस्सेदार से चन्द शेयरों वाला निदेशक से कर्ज पर टिकी फैक्ट्री-कम्पनी की मुख्य कार्याधिकारी बनने की प्रक्रिया की संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। कम्पनी के शिखर से, चेयरमैन-एम डी-सी ई ओ से आरम्भ होती कम्पनी की चोरी मैनेजमेन्ट के निचले स्तर तक फैली है। इधर इन तीस-चालीस वर्ष में उत्पादन क्षेत्र में हुये कुछ उल्लेखनीय बदलाओं पर चर्चा जारी रखें।

● कारखानों में सामग्रियाँ विशाल क्षेत्र और दूर-दराज से आती थी पर उन से उत्पादन एक छत तले, एक परिसर में किया जाता था। फैक्ट्री मानी गेट और घेरे में बन्द मजदूर बना।

मण्डी का विस्तार और उत्पादन की बढती मात्रा का गठजोड़ एक निरन्तर प्रक्रिया है। इन के संग फैक्ट्रियों का बढता आकार और फिर...

– वस्त्र उद्योग को लें। कपड़ा मिलें इंग्लैण्ड में। कपास की खेती अमरीका-मिश्र-भारत में। रंग के लिये भारत में नील की खेती और फिर रसायनों से रंग बनाने पर ये जर्मनी से। कपड़ों की बिक्री संसार-भर में।

चर्खे को कताई मिल ने विस्थापित किया। जुलाहे को फैक्ट्री में कपड़ा बनाने ने। रंगरेज को.

उत्पादन की बढती मात्रा के संग काम की रफ्तार और फैक्ट्री की साइज बढी – विशाल कपड़ा मिलें बनी। एक ही कारखाने में कताई, बुनाई, धुलाई-रंगाई, छपाई करते दस हजार मजदूर। इंग्लैण्ड-अमरीका की बात एक तरफ कर बम्बई-कानपुर-इन्दौर-कोयम्बतुर देखें। वहाँ की विशाल कपड़ा मिलें आज गायब हैं।

दुनियाँ में नई-नई किस्म के धागों और कपड़ों की मात्रा इधर बहुत बढी है। वस्त्र उद्योग का विस्तार भी बहुत हुआ है– दर्जियों को कारखाने खत्म कर रहे हैं। गुड़गाँव-ओखला-नोएडा-फरीदाबाद में.... बंगलादेश-इन्डोनेशिया-वियतनाम-चीन में सिले-सिलाये वस्त्र तैयार करती फैक्ट्रियों की भरमार।

और, विशाल कारखाने गायब-से.....

– आइये वाहन उद्योग को लें। रबड़ के लिये मलाया में क्रूरता और तेल के लिये ताण्डव की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। वाहन निर्माण को देखते हैं, कार फैक्ट्री को देखते हैं।

कपड़ा कारखानों वाली कहानी ही कार फैक्ट्रियों के मामले में दोहराई जाती लगती है। कपड़ा मिलों की जन्मस्थली इंग्लैण्ड से जैसे यह गायब हुई हैं, लाइन सिस्टम के जरिये मजदूरों को हाँकने में अग्रणी रही बड़ी कार फैक्ट्रियों की अमरीका में वैसी ही स्थिति बन रही है।

● वस्त्र हों चाहे वाहन, इनका उत्पादन यूरोप-अमरीका के सीमित क्षेत्रों से निकल कर विश्व-व्यापी हो गया है। मण्डी का विस्तार भौगोलिक के संग सामाजिक क्षेत्रों में बहुत फैल गया है। और, नित नई मण्डी की रचना के लिये गतिविधियाँ अत्याधिक वीभत्स विकृतियों के चरण में प्रवेश कर गई हैं।

नियन्त्रण अधिकाधिक कठिन..... भ्रम पैदा करना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल।

● उत्पादन की बढती मात्रा काम की रफ्तार बढाते जाने के बावजूद मजदूरों की सँख्या बढाती आई है। यूरोप-अमरीका के छोटे क्षेत्रों की बजाय आज मजदूर दुनियाँ के कोने-कोने में हैं।

गेट और घेरे में बन्द मजदूरों की विशाल सँख्या पर नियन्त्रण अधिकाधिक कठिन.... और उत्पादन की मात्रा में नित नई वृद्धि! यह वह गुत्थी लगती है जिसने कई गेटों, कई घेरों में बन्द मजदूरों वाले उद्योग क्षेत्रों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है।

मारुति कार को लें। दो हजार से अधिक कार प्रतिदिन बनाती मारुति फैक्ट्री में मात्र 1800 स्थाई मजदूर और ठेकेदारों के जरिये रखे 4000 वरकर आज हैं। जबकि नोएडा, ओखला, फरीदाबाद, गुड़गाँव की कुछ हजार फैक्ट्रियों-वर्कशॉपों में लाख के दायरे में मजदूर मारुति कार बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका अदा करते हैं। वाहन निर्माण आज असेम्बली स्थल के चौतरफा पचास मील के घेरे में उत्पादन कार्य पर आधारित है। इतनी बड़ी फैक्ट्री! इतने अधिक मजदूर एक घेरे में!! जी हाँ, एक फैक्ट्री के कई टुकड़े करना अस्थाई तौर पर मजदूरों को नियन्त्रण में रखना सम्भव बनाता लगता है पर.... विश्व-भर में जगह-जगह लाखों मजदूरों वाले उद्योग विहार समाज में आमूलचूल परिवर्तन की बढती सम्भावना लिये हैं। (जारी)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद – 121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

दर्पण में चेहरा-दर-चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

यामाहा मोटर मजदूर : "19/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री की स्पेयर पार्ट्स डिविजन में हम 14 मजदूर 1986-92 के दौर से काम कर रहे हैं। पहले गेट पर एस्कोर्ट्स सैकेन्ड प्लान्ट का बोर्ड था, फिर एस्कोर्ट्स यामाहा का हुआ और अब यामाहा मोटर नाम लिखा है। हमें ठेकेदार के जरिये रखे वरकर कहा जाता रहा है जबकि हमारे ई.एस.आई. तथा पी.एफ. खातों में नियोक्ता कोड एस्कोर्ट्स-यामाहा के हैं और हम उत्पादन में हैं। इधर मैनेजमेन्ट हमारे यामाहा कोड समाप्त कर उनकी जगह किसी ठेकेदार के कोड डाल हमें वास्तव में ठेकेदार के जरिये रखे वरकर बनाना चाहती है। हम ने नये फार्मों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर मैनेजमेन्ट के इस कदम के विरोध में अक्टूबर की तनखा नहीं ली और फिर नवम्बर की तनखा भी नहीं ली है।"

यूनिवर्सल मैटल वरकर : " 30/5 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 5 से 100 टन की 20 पावर प्रेसों पर वर्ष में 12-15 मजदूरों की उँगलियाँ कटती हैं। डबुआ कॉलोनी में डॉ. सेंगर से दवा-पट्टी करवा, 50-100 रुपये दे कर निकाल देते हैं। इक्का- दुक्का जो अड़ता-भिड़ता है उसकी 8 दिन पहले की भर्ती दिखा कर ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड बना एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भर देते हैं। अगस्त 07 में भविष्य निधि विभाग ने छापा मारा तब हाजरी रजिस्टर में 63 मजदूरों के नाम थे। छापे के बाद कम्पनी ने गार्ड को निकाल दिया, हर मजदूर से फोटो ली और अगस्त व सितम्बर की तनखाओं से 26 वरकरों के ई.एस.आई. तथा पी.एफ. के पैसे काटे। अक्टूबर में कुछ के पैसे काटने बन्द किये तथा नवम्बर में कुछ और के। इस समय फैक्ट्री में 45 मजदूर हैं और ई.एस.आई. व पी.एफ. मात्र 6 की हैं। यहाँ डेन्सो, मदरसन, सन्दार, इण्डोरेशन कम्पनियों का काम होता है। हैल्परों की तनखा 1700-2000 और ऑपरेटरों की 2100-2300 रुपये। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की, महीने में 100-130 घण्टे ओवर टाइम के जिनका भुगतान सिंगल रेट से। हैल्परों से पावर प्रेस चलवाते हैं और एक डायरेक्टर गाली देता है।"

सूपर स्क्रू मजदूर : "प्लॉट 30, 35 व 96 सैक्टर-24 स्थित कम्पनी की फैक्ट्रियों में 50 मजदूर कम्पनी ने स्वयं भर्ती किये हैं और 250 को ठेकेदार हिन्दुस्तान सेक्युरिटी के जरिये रखा है। जुलाई 07 से 10 घण्टे ड्युटी पर 3510 रुपये महीना देने लगे हैं – 8 घण्टे पर यह माँगने पर ठेकेदार से गाली मिलती हैं। दस घण्टे के बाद को ओवर टाइम कहते हैं और उसका भुगतान भी सिंगल रेट से। रविवार को साप्ताहिक छुट्टी – अन्य किसी दिन सरकारी त्यौहारी छुट्टी पड़ने पर उस दिन की छुट्टी के बदले में 10 घण्टे हमारे ओवर टाइम कहे जाते घण्टों से काट लेते हैं। बोनस नहीं देते।"

जिन्दल रैक्टीफायर मजदूर : "प्लॉट 195 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में कैजुअल वरकरों की तनखा 2400 रुपये और ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। स्थाई मजदूर ऑपरेटर हैं फिर भी तनखा 3510 रुपये ही।"

स्टर्लिंग टूल्स वरकर : " 5 ए डी.एल. एफ. इन्डस्ट्रीयल एस्टेट स्थित फैक्ट्री में 1500 स्थाई, 800 कैजुअल और तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 700 मजदूर काम करते हैं। लीलैण्ड, माजदा, आयशर, मारुति वाहनों के नट-बोल्ट 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में बनते हैं। ओवर टाइम के स्थाई को 25 रुपये प्रति घण्टा और कैजुअलों तथा ठेकेदारों के जरिये रखों को 15 रुपये प्रति घण्टा। कैजुअलों में सी एन सी ऑपरेटरों को भी 3510-3640 रुपये तनखा, पे-स्लिप नहीं, ई.एस. आई. कार्ड नहीं, कम्पनी द्वारा 6 महीने में निकाल देना और .... और स्थाई मजदूरों द्वारा दुर्व्यवहार : 'भाड़े वाले हो, हमारे पास मत बैठो'। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है।"

आर एस प्लास्टिक सुपरवेयर मजदूर : "प्लॉट 2 धर्म काँटा रोड़, मुजेसर स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8 की एक शिफ्ट है। वर्ष के 365 दिन काम.... 15 अगस्त, दिवाली, होली पर 4 घण्टे काम के बाद मिठाई, रंग, दारू। उत्पादन के लिये हर समय भारी दबाव – सिंगल डाई पर 12 घण्टे में 80 पीस माँगते हैं जबकि बहुत मुश्किल से 60-65 बनते हैं। थोड़े-से नुक्स पर गाली देते हैं और समय काट लेते हैं। रोज गाली... मशीन खराब होने की बात बताओ तो मैनेजिंग डायरेक्टर की गाली खाओ। कप-प्लेट बनाने का गर्म-गन्दा काम है और गैस लगने से आँख में आँसू, चक्कर आ जाते हैं। आँख, फेफड़े, पेट की तकलीफें आम हैं। फैक्ट्री में काम करते सभी 22 मजदूरों की ई. एस.आई. व पी.एफ. हैं और सब से 3640 रुपये तनखा पर हस्ताक्षर करवाते हैं परन्तु... परन्तु वास्तव में हैल्परों की तनखा 1800-2300 और ऑपरेटरों की 2300-2900 रुपये है। ओवर टाइम का भुगतान वास्तविक वेतन के सिंगल रेट से।"

अल्पिया पैरामाउन्ट वरकर : "सैक्टर-59 पार्ट-बी झाड़सेंतली-जाजरू रोड़ स्थित कम्पनी के सैकेन्ड प्लान्ट में 25 स्थाई मजदूर और 175 कैजुअल वरकर काम करते हैं। कैजुअलों की ई. एस.आई, नहीं, पी.एफ. नहीं। स्थाई मजदूरों की तनखा 3510-3640 और कैजुअलों में हैल्परों की 2200 तथा ऑपरेटरों की 3000 रुपये। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की, महीने में 150-200 घण्टे ओवर टाइम के जिनका भुगतान सिंगल रेट से भी कम अनुसार। एक साहब गाली देता है, हाथ भी उठा देता है।"

आर वी इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 110 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में काम करती 20 महिला मजदूरों की तनखा 1600-1800 और पुरुष हैल्परों की 2000-2200 रुपये। इनकी ई.एस.आई. व पी. एफ. नहीं। पावर प्रेस और ड्रिल ऑपरेटरों का वेतन 3510 रुपये – ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। कभी 10 कभी 12 घण्टे की शिफ्ट, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

लॉल्स वरकर : "33 बी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करते 300 मजदूरों के बारे में कम्पनी ने कोई बात नहीं की जब इसे टाटा रायरसन स्टील को किराये पर दिया। कुछ को सरूरपुर में बनाई नई ढलाई फैक्ट्री में, कुछ को 30 इन्ड. एरिया के एक प्लॉट में रेलवे के पुर्जे बनाने के लिये बनाई फैक्ट्री में भेजा और रोलिंग मिल वाले हम 16 वरकरों को सैक्युरिटी गार्ड बना दिया। हम मुख्य द्वार, रेल लाइन तथा इमारत के चारों तरफ रात-दिन ड्युटी करते हैं। कम्पनी के पुराने और हम नये गार्डों की तनखा 2555-2700 रुपये है हालाँकि हम में से 5 से 3640 पर हस्ताक्षर करवाते हैं। महीने में एक छुट्टी – ओवर टाइम के 80 से 120 घण्टे प्रतिमाह जिनका भुगतान सिंगल रेट से।"

सुमिति इंजिनियरिंग मजदूर : "प्लॉट 219 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में मशीन शॉप, वैल्डिंग शॉप, प्रेस शॉप में तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 350 मजदूर मारुति कार के पुर्जे बनाते हैं। महीने के तीसों दिन 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम होता है। हैल्परों की तनखा 2400-2500 और कारीगरों की 3200-3400 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

अमित इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 5 सैक्टर-25 (कृष्णा कॉलोनी) स्थित फैक्ट्री में हम 50 मजदूर जमीन पर साँचों में लोहे की ढलाई करते हैं। हैल्परों की तनखा 2400-2500 और कारीगरों की 3000 रुपये। वेतन देरी से – नवम्बर की तनखा आज 14 दिसम्बर तक नहीं दी है। एक शिफ्ट है 12 घण्टे की, ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से।"

सेक्युरिटी गार्ड : "मकान 5418 सैक्टर-3 में कार्यालय वाली भारत सेक्युरिटी गार्डों को 12 घण्टे रोज ड्युटी पर 30 दिन के 3300 रुपये बताती है पर देती 2900 है। ई.एस.आई. की राशि 3640 रुपये तनखा अनुसार काटते हैं।"

सुपर ऑटो डाइकास्ट मजदूर : "प्लॉट 50 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में काम करते 200 मजदूरों में 165 कैजुअल वरकर हैं। कैजुअलों की तनखा 2500 रुपये और ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं।"

सिकन्द मजदूर : " प्लॉट 2 नोरदर्न कम्पलैक्स, 20/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में काम करते 14 कैजुअल तथा दो ठेकेदारों के जरिये रखे 7 वरकरों की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। कैजुअल वरकरों की तनखा 2484-2784 रुपये और ठेकेदारों के जरिये रखों की 2000-3000 रुपये।"

प्रकाश वेबटैक वरकर : "5 ए नोरदर्न कम्पलैक्स, 20/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1500 और ऑपरेटरों की 2500-3000 रुपये। एक शिफ्ट है 12 घण्टे की। ओवर टाइम सिंगल रेट से। चालीस मजदूरों में ई.एस.आई. व पी.एफ. 8 की ही हैं।"

दिल्ली से —

यूनी-युनाइटेड मज़दूर : "बी-51 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 125 सिलाई कारीगर हैं — ई.एस.आई. व पी.एफ. एक की भी नहीं। सुबह 9 से रात 9 की शिफ्ट है और फिर रात 12 तक रोकते हैं। सिलाई कारीगरों का पीस रेट 8 घण्टे बाद नहीं बदलता, यानी ओवर टाइम का भुगतान भी सिंगल रेट से। धागे काटने वाली 15 महिला मजदूरों की तनखा 1500-2200 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, ड्युटी 12 घण्टे की और ओवर टाइम का भुगतान भी सिंगल रेट से। कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती हैल्परों की तनखा 3000 रुपये।"

सरवेल वरकर : "डी-6/1 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 100 स्थाई मजदूर और एक ठेकेदार के जरिये रखे 150 वरकर काम करते हैं। स्थाई की आमतौर पर 8 घण्टे की ड्युटी जबकि ठेकेदार के जरिये रखों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और साप्ताहिक अवकाश नहीं। प्रतिदिन 12 घण्टे पर पूरे महीने के 3280 रुपये — सिर्फ रविवार के 12 घण्टे में 4 घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं, पैसे सिंगल रेट से। त्यौहार की छुट्टी के पैसे काट लेते हैं ...भर्ती के समय कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाते हैं। भर्ती के तीन महीने बाद लगते हैं, ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड देते हैं पर नौकरी से निकालने/छोड़ने पर फण्ड के पैसे मजदूर को मिलते ही नहीं। स्थाई मजदूरों को तनखा 7 तारीख को और ठेकेदार के जरिये रखों को 25-28 को जा कर। सरकारी अधिकारी अथवा आई.एस.ओ. वाले आते हैं तब ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं।

"सरवेल फैक्ट्री में बिजली के तार बनते हैं, परमाणु संयन्त्रों के लिये तार बनते हैं। सोल्डरिंग करने वालों की उँगली और नाखुन हर समय जख्मी रहते हैं। चाँदी आदि के महँगे तार बनाने वाली बहुत भारी मशीनें खतरनाक हैं। ताम्बे व अल्युमीनियम के भारी तार बनाने तथा उन पर प्लास्टिक चढाने वाले पूरे प्लान्ट में बहुत बदबू रहती है। तारों की जाँच के लिये हाई वोल्टेज बिजली प्रयोग की जाती है और इस काम में भी आम मजदूर को लगा देते हैं। खतरे ही खतरे... ... दो साल पहले फैक्ट्री में आग भी लगी थी — निकलने का सिर्फ एक गेट है और वहीं आग लगी थी। दो घण्टे हम अन्दर फँसे थे — सीढी लगा कर निकाला था। तारापुर, कलपक्कम परमाणु संयन्त्रों में स्थाई के संग ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों को भी भेजते हैं। वहाँ और भी खतरनाक हालात हैं — कई किस्म की गैसें तार जोड़ने के काम में लगा देते हैं। दारू-गुड़. ...साल-भर में बीमार। स्थाई मजदूर को परमाणु संयन्त्र भेजते हैं तब दैनिक भत्ता 300 रुपये और ठेकेदार के जरिये रखे मजदूर को 80 रुपये। वहाँ एक छोटे कमरे में 5-7 को रखते हैं।"

डिवाइन एक्सपोर्ट वरकर : "ई-44 ओखला फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 125 मजदूर सुबह 8½ से रात 9 की शिफ्ट में काम करते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. 15-16 मजदूरों के ही हैं। हैल्परों की तनखा 1800-2500 रुपये और कारीगर को 8 घण्टे के 120 रुपये।"

विक्टर इन्टरनेशनल मजदूर : "बी-86 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में टी वी, वी सी डी, टेलीफोन के पुर्जे बनते हैं और अधिकतर मजदूर लड़कियाँ हैं। सब हैल्पर ठेकेदार के जरिये रखे हैं और 8 घण्टे रोज काम पर 30 दिन के 1800-2200 रुपये देते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम से 200 रुपये काटते हैं, ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड देते हैं, निकालने/छोड़ने पर मजदूर को फण्ड के पैसे नहीं मिलते। डायरेक्टर बदतमीजी से पेश आता है।"

शिकायत के लिये दो पते : -

1. श्रम आयुक्त दिल्ली सरकार
5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली—110054

गुड़गाँव से ..... (पेज चार का शेष)

स्पिरिट क्लोथिंग वरकर : "549 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में 50 स्थाई मजदूर और एक ठेकेदार के जरिये रखे 450 वरकर काम करते हैं। ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 2585 और चैकरों की 3200 रुपये तथा कारीगरों को 8 घण्टे के 120 रुपये अनुसार — ई.एस.आई. व पी.एफ. 450 में 50 की ही।"

स्पार्क ओवरसीज मजदूर : "166 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 8 की ड्युटी तो रोज है ही, रात 2 बजे तक रोक लेते हैं। रात 8 बजे के बाद रोकने पर 25 रुपये रोटी के देते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। तनखा देरी से — नवम्बर की आज 19 दिसम्बर तक नहीं दी है। रात दो बजे छोड़ते हैं तब पास देते हैं पर सुबह वापस ले लेते हैं। पाँच सौ मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

भारत एक्सपोर्ट ओवरसीज़ वरकर : "376 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2460 रुपये और कारीगरों को 8 घण्टे के 110-115 रुपये अनुसार देते हैं पर हस्ताक्षर 3510 तथा 3900 (8 घण्टे के 150 रुपये) पर करवाते हैं।"

ई एल इण्डिया मजदूर : "402 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में 25 स्थाई, 100 कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे 400 मजदूर लोहे का काम करते हैं। कैजुअल की तनखा 3510 और ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों की 2200 तथा कारीगरों की 3000-4000 रुपये। सुबह 9 से रात 8½ की शिफ्ट, ओवर टाइम सिंगल रेट से।" **कन्डोर वरकर :** "792 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2500 और कारीगरों की 3000-3900 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. 3510-3900 अनुसार सब की काटते हैं.... तनखा से कभी 200 तो कभी 400 रुपये काटते हैं — उपस्थिति कम दिखाते हैं, ड्युटी करते हुओं की अनुपस्थिति लगाते हैं।"

ऋचा एण्ड कम्पनी मजदूर : "239 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में धागे काटने का काम करती 40 महिला तथा 20 पुरुष मजदूरों को सितम्बर और अक्टूबर की तनखायें 3510 रुपये दी पर इधर नवम्बर की तनखा 2700 रुपये दी है — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।

"फेज-1 में ही ऋचा की प्लॉट 192 स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 10 की शिफ्ट है। ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से करते हैं पर पे-स्लिप में ओवर टाइम के 4-5 घण्टे ही दिखाते हैं। साहब गाली देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं।"

कोस्मो वरकर : "864 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में ई.एस.आई. व पी.एफ. स्टाफ वालों की ही — एक हजार मजदूरों में किसी की नहीं। हैल्परों की तनखा 2500-2700 और कारीगरों की 3200 रुपये। सुबह 9½ से रात 8 की शिफ्ट है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। नवम्बर की तनखा आज 19 दिसम्बर तक नहीं दी है।" **राधनिक एक्सपोर्ट मजदूर :** "215 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में हम कैजुअल वरकरों को ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं और बोनस देते ही नहीं। हम में से 200 की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं। बायर के आने के समय मैनेजमेन्ट हमें झूठ बोलने के पाठ पढाती है। रोज 13 घण्टे की शिफ्ट है और उसके बाद रात 2 बजे तक रोकते हैं तब रोटी के लिये 15 रुपये देते हैं। हम हर समय तनाव में रहते हैं।" **ग्रापटी एक्सपोर्ट**, 377 फेज-2, हैल्परों को 10½ घण्टे ड्युटी पर महीने के 3510 रुपये; **एक्सपोर्ट मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेन्ट एजेन्सी**, 464 फेज-5, ठेकेदार के जरिये रखे 150 की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं, हैल्परों की तनखा 2000-2500, चैकरों की 3500 रुपये और कारीगरों को 8 घण्टे के 120 रुपये ; **कृष्णा लेबल**, 162 फेज-1, तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 500 मजदूरों में हैल्परों को 3510 और कारीगरों को 3640 रुपये 9½ घण्टे रोज ड्युटी पर महीने के, ई.एस.आई. कार्ड नहीं, निकालने/छोड़ने पर फण्ड का फार्म नहीं भरते; **पर्ल ग्लोबल**, 870 फेज-5, तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 250 मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, सिलाई कारीगरों की तनखा 3900 और बाकी सब की 2000-2200 रुपये; **पूजा एपरेल्स**, 158 फेज-1, सुबह 9¼ से 6 वाली शिफ्ट में रात 8, रात 2 बजे तक रोक लेते हैं, साँय 6 से रात 2 वाली में सुबह 8 तक रोक लेते हैं, ओवर टाइम सिंगल रेट से, रोटी के लिये 20 रुपये, गाली देते हैं; **रांगी इन्टरनेशनल**, 98 फेज-1, धागे काटने वालों की तनखा 2500 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, 12-16-20 घण्टे ड्युटी, ओवर टाइम सिंगल रेट से ; **इण्डियन हैण्ड फैब्स**, 92 फेज-1, ठेकेदार के जरिये रखते समय तनखा 2700 रुपये बताई, 10 दिन बाद निकाला तब 2200 के हिसाब से पैसे दिये ; **फ्लोलिन**, 141 फेज-1, हैल्परों की तनखा 2600 रुपये, 50 में ई.एस.आई. व पी.एफ. 15 की ही ; **स्टैन्डर्ड गोल्ड**, 235 फेज-1, हैल्परों की तनखा 2350-3000 रुपये, सुबह 9 से रात 9 ड्युटी, ...

गुड़गाँव से –

ईस्टर्न मेडिकिट मजदूर : "उद्योग विहार स्थित कम्पनी की चार फैक्ट्रियों में हम तीन हजार कैजुअल वरकरों ने कल, 18 दिसम्बर को रात की शिफ्ट में काम बन्द कर दिया। कम्पनी नें पुलिस बुलाई। पुलिस ने हमें फैक्ट्रियों से बाहर निकलने को कहा तो हम ने बाहर जाने से इनकार कर दिया और नवम्बर माह का वेतन नहीं दिये जाने की बात बताई। मैनेजमेन्ट ने हमें इमारतों से बाहर किया – सर्दी में पूरी रात हम फैक्ट्रियों में खुले में बैठे।

"ईस्टर्न मेडिकिट फैक्ट्रियों में 1100 स्थाई मजदूरों की 8 घण्टे की शिफ्ट हैं पर हम कैजुअल वरकरों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। जुलाई से 3510 रुपये न्यूनतम वेतन लागू होने से पहले हमें ओवर टाइम के 15½ रुपये प्रति घण्टा के हिसाब से देते थे जिसे घटा कर 10½ रुपये प्रति घण्टा कर दिया है। काम का बहुत ज्यादा बोझ है – स्थाई मजदूर के लिये प्रति घण्टा 500 पीस निर्धारित हैं तो कैजुअल वरकर से 800-1100 पीस प्रति घण्टा माँगते हैं। सूईयों से हाथ लहुलुहान होते रहते हैं। परसनल मैनेजर गाली देता है और हमें जबरन 12 घण्टे रोकते हैं। अत्याधिक काम के कारण फैक्ट्री में एक कैजुअल वरकर के मूँह से खून आया और कमरे पर उसकी मृत्यु हो गई। कम्पनी ने मृत मजदूर के परिवार को कुछ नहीं दिया। तनखा में से ई.एस.आई. व पी.एफ. राशि काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते तथा निकालने/छोड़ने पर फण्ड निकालने का फार्म नहीं भरते। और, भर्ती के लिये 250 रुपये रिश्वत लेते हैं।"

सेक्युरिटी गार्ड : "प्लॉट 16-17 व 751 खाँडसा, 138 व 222 उद्योग विहार फेज-1, 446 व 870 उद्योग विहार फेज-5, और नरसिंहपुर में **पर्ल ग्लोबल** की 7 फैक्ट्रियों में हम 100 गार्ड ड्युटी करते हैं। हम सब को कम्पनी ने स्वयं भर्ती किया है। हमारी ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। दस्तावेजों में कम्पनी 8-8 घण्टे की तीन शिफ्ट दिखाती है पर वास्तव में हमारी 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। साप्ताहिक छुट्टी है। हमें 12 घण्टे रोज ड्युटी पर 26 दिन के 4218 रुपये देते हैं – ओवर टाइम दिखाते ही नहीं।"

कुरु बॉक्स मजदूर : "199 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में अब 80-90 वरकर ही बचे हैं, कम्पनी ने अपनी 5 फैक्ट्रियों के 2000 मजदूरों को मानेसर में नई फैक्ट्री मे भेज दिया है। अधिकतर वरकर तीन ठेकेदारों के जरिये रखे हैं और एक ठेकेदार 1000 मजदूरों के पी.एफ. के पैसे खा कर चला गया है। कम्पनी इस मामले में टरकाती रहती है। बायर को 8 घण्टे की ड्युटी बताते हैं जबकि वास्तव में है 9 घण्टे की। लेकिन असली समस्या तो इसके बाद रोकने की है। महीने में जबरन 150-180 घण्टे ओवर टाइम करवाते हैं। धमकाने-पीटने के लिये फैक्ट्री में पुलिस बुला लेते हैं। काम का भारी बोझ है और बैठते ही टारगेट.... अत्याधिक काम, खासकरके सर्दियों में जबरन रात को रोकने से हर साल एक-दो की मृत्यु हो जाती है। मृत मजदूर के परिवार को कम्पनी स्वयं कुछ नहीं देती, मजदूरों से चन्दा एकत्र किया जाता है। ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से करते हैं पर महीने में 10-15 घण्टों की गड़बड़।"

जोर्जी एक्सपोर्ट वरकर : "366 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में 25 स्थाई मजदूर और तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 400 वरकर काम करते हैं। हैल्परों की तनखा 2000-2400 रुपये।"

गुलाटी एक्सपोर्ट मजदूर : "397 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2400-2600 और कारीगरों में कम्पनी द्वारा रखों की 3640 तथा ठेकेदारों के जरिये रखों की 3000-3100 रुपये। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की और ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। तीन साल से जिनकी तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काट रहे हैं उन्हें फण्ड की पर्ची नहीं मिली हैं और ई.एस.आई. कार्ड के लिये परसनल वाले 200-400 रुपये खर्चा माँगते हैं। कैन्टीन नहीं है। अक्टूबर तथा नवम्बर की तनखायें आज 19 दिसम्बर तक नहीं दी हैं।" **(बाकी पेज तीन पर)**

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो, बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये–पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 7000 प्रतियाँ फ्री बाँटने का प्रयास करते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

पी. एफ. भविष्य निधि

ठेकेदार के जरिये रखे मजदूर हों चाहे कैजुअल वरकर हों, जहाँ कहीं 20 अथवा अधिक लोग काम करते हैं वहाँ हर एक का पी.एफ. अनिवार्य होने का कानून है। भविष्य निधि संगठन केन्द्र सरकार के तहत है।

मजदूर के वेतन से 12 प्रतिशत काट कर और इसके बराबर राशि नियोक्ता द्वारा मिला कर हर महीने 15 तारीख तक सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय में जमा करवाने का कानून है। जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की है – ठेकेदार के भाग जाने पर जहाँ मजदूरों ने काम किया है उस कम्पनी को भरपाई करनी होगी।

पी.एफ. लागू नहीं करना; तनखा से पैसे काट लेना पर जमा नहीं करना अथवा कम जमा करना; नियोक्ता वाला हिस्सा भी मजदूर के वेतन से काटना; पी.एफ. की पर्ची नहीं देना – नम्बर नहीं बताना; नौकरी से निकालने/छोड़ने पर फण्ड से पैसे निकालने का फार्म नहीं भरना.... बहुत-ही बड़े पैमाने पर गबन, हेराफेरी, गड़बड़घोटालों, रिश्वतखोरी के शिकार मजदूर हो रहे हैं।

एक आसान कदम है कम्पनी का पूरा पता और अपनी बात लिख कर 25-50 पैसे का पोस्ट कार्ड डालना। पत्र भेजने के लिये कुछ पते हैं :–

1. श्रम मन्त्री, भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली –110001
2. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
3. केन्द्र का ई-मेल पता < cpfc@alpha.nic.in>
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
भविष्य निधि भवन, सैक्टर-15ए, फरीदबाद–121007
ई-मेल < rpfc_fbd@yahoo.co.in>
5. उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
प्लॉट 43, सैक्टर-44, गुड़गाँव – 122002
6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली)
60 स्काईलार्क बिल्डिंग, पाँचवीं मंजिल
नेहरु प्लेस, नई दिल्ली – 110019
ई-मेल < rpfcdls@rediffmail.com.>
7. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उत्तरी दिल्ली)
28 वजीरपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया
नई दिल्ली–110052
ई-मेल < rpfcdelhi@rediffmail.com>

फण्ड-पेन्शन फार्म जमा करवाने पर भविष्य निधि अधिकारियों की रिश्वतखोरी आदि की शिकायतें भी उपरोक्त पतों पर करना बनता है।

भविष्य निधि संगठन में जमा राशि पर ब्याज कम कर के पी.एफ. वाले सब मजदूरों पर चोट मारी गई है। परन्तु इधर जिन कैजुअल तथा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की पी.एफ. जमा की जाती है उन्हें भविष्य निधि संगठन चुपचाप भारी चोट मार रहा है। **दो-चार-छह महीनों में नौकरी से निकाले जाते इन मजदूरों के लिये पेन्शन का कोई अर्थ नहीं है। तनखा से कटे पैसे और नियोक्ता का अंश इन्हें मिलते थे पर .... पर तीन साल से इस राशि का 35 प्रतिशत भविष्य निधि संगठन हड़प रहा है।** इक्का-दुक्का कोई सवाल उठाता है और अड़ता है तो यह 35 प्रतिशत राशि दे दी जाती है। इस घोटाले की शुरुआत फार्म भरते समय लाल फर्रा नहीं भरने अथवा फार्म जमा करते समय लाल फर्रा हटा देने के जरिये की जा रही है। इस "दुगुनी की बजाय सिंगल देने" के विरोध में ऊपर दिये पतों पर पत्र लिखें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73–2011**